

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1953
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाएं

1953. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं का व्यौरा क्या है तथा उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटित एवं व्यय की गई कुल धनराशि क्या है तथा गत पांच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान योजना-वार, वर्ष-वार एवं राज्य-वार अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;
- (ग) क्या सरकार का राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के वंचित एवं दूर-दूर स्थित गांवों के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदंडों में शिथिलता प्रदान करते हुए नई चिकित्सा इकाइयां एवं योजनाएं खोलने/शुरू करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाएं इस मंत्रालय के तहत योजनाओं के प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग बजट लाइनों के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के लिए सरकारी खर्च तिमाही व्यय योजना के अनुसार सर्वोत्तम आउटपुट के लिए किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों के समाधान के माध्यम से योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को

सुनिश्चित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए समीक्षाएं की जाती हैं। राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित विभिन्न प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण तथा जारी/उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है।

- i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अनुलग्नक-I
- ii. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) अनुलग्नक-II
- iii. मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना अनुलग्नक-III
- iv. देश में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ और उन्नत करना अनुलग्नक-IV
- v. नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा अनुलग्नक-V
- vi. नर्सिंग सेवाओं का विकास अनुलग्नक-VI
- vii. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) अनुलग्नक-VII
- viii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) अनुलग्नक-VIII
- ix. केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं (सीजीएचएस) अनुलग्नक-IX
- x. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं अनुक्रिया योजना (एचएसडीपीआर) अनुलग्नक-X
- xi. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास योजना (एचआरडीईएमएस) अनुलग्नक-XI

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र-वार निर्गत निधि और व्यय।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34.92	36.91	43.68	45.26	37.84	27.72
2	आंध्र प्रदेश	1,111.07	1,097.81	1,199.37	1,489.45	1,096.01	894.35
3	अरुणाचल प्रदेश	185.95	243.04	188.53	233.82	404.55	194.06
4	असम	1,749.24	1,807.48	1,955.93	1,981.83	2,257.06	1,195.58
5	बिहार	1,510.68	1,814.63	1,748.76	1,586.57	2,032.95	1,513.13
6	चंडीगढ़	22.77	22.21	17.47	38.09	30.58	22.96
7	छत्तीसगढ़	816.07	979.41	969.61	1,195.08	875.80	464.31
8	दादरा एवं नगर हवेली	25.33	36.39	38.59	58.28	39.92	19.36
	दमन और दीव	16.79					
9	दिल्ली	138.74	125.73	127.37	35.15	150.54	165.12
10	गोवा	35.47	34.81	26.01	55.42	48.97	16.60
11	गुजरात	1,110.80	1,005.66	1,094.48	1,120.06	1,506.96	874.93
12	हरियाणा	567.71	531.50	577.07	681.21	524.01	414.11
13	हिमाचल प्रदेश	504.84	441.94	555.09	494.65	470.36	344.51
14	जम्मू और कश्मीर	702.20	667.46	459.10	651.52	805.22	469.13
15	झारखंड	830.63	602.80	640.18	810.30	958.06	503.64
16	कर्नाटक	1,173.77	1,232.19	1,274.71	1,246.67	1,187.60	661.70
17	केरल	836.14	788.22	771.47	1,036.76	189.15	702.63
18	लद्दाख	-	91.89	44.79	94.95	120.44	70.03
19	लक्षद्वीप	6.16	7.11	8.41	9.97	3.79	6.03
20	मध्य प्रदेश	1,728.73	2,377.14	2,295.66	2,582.10	2,545.68	1,806.66
21	महाराष्ट्र	1,724.99	1,833.59	1,769.67	2,187.13	2,729.30	1,717.66

22	मणिपुर	185.65	189.49	95.59	61.40	169.12	138.31
23	मेघालय	141.17	202.63	282.46	261.56	261.39	203.64
24	मिजोरम	127.24	143.73	93.82	111.82	134.42	39.57
25	नागालैंड	123.23	188.21	126.66	91.38	184.84	121.56
26	ओडिशा	1,475.14	1,617.63	1,263.07	1,284.69	1,901.77	958.93
27	पुदुचेरी	31.56	25.55	21.33	20.73	30.80	12.93
28	पंजाब	712.02	568.14	349.21	448.89	91.49	27.82
29	राजस्थान	1,781.83	2,000.58	1,924.95	1,460.80	2,785.46	1,637.41
30	सिक्किम	53.55	70.13	51.86	73.30	68.17	50.08
31	तमिलनाडु	1,424.22	1,522.71	1,631.91	1,652.24	1,996.06	1,208.86
32	तेलंगाना	964.34	671.88	725.67	683.77	564.93	772.27
33	त्रिपुरा	239.47	225.91	217.95	231.90	264.31	126.45
34	उत्तर प्रदेश	4,749.05	3,772.95	3,235.46	5,133.59	4,928.14	3,153.57
35	उत्तराखंड	348.83	583.25	553.47	505.01	711.33	263.59
36	पश्चिम बंगाल	1,749.32	1,895.01	1,654.26	1,252.32	890.42	132.94

टिप्पणी:

1. उपरोक्त निर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय निर्गत को 13-11-2024 तक अद्यतन किया गया है।

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्गत निधि और व्यय।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	1.11	-	1.05
2	आंध्र प्रदेश	3.75	15.76	35.78	0.32
3	अरुणाचल प्रदेश	0.56	0.10	8.83	-
4	असम	57.90	2.26	91.45	75.18
5	बिहार	125.86	7.17	-	-
6	चंडीगढ़	-	4.79	10.38	-
7	छत्तीसगढ़	11.25	1.34	32.23	9.91
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	0.24	0.28	0.26
9	दिल्ली	-	-	-	-
10	गोवा	-	0.06	3.75	-
11	गुजरात	-	29.54	46.04	39.69
12	हरियाणा	11.06	1.31	17.67	-
13	हिमाचल प्रदेश	-	28.05	15.69	15.17
14	जम्मू और कश्मीर	16.11	1.00	44.01	30.22
15	झारखंड	44.70	183.04	102.27	2.26
16	कर्नाटक	11.25	37.10	100.57	36.53

17	केरल	3.75	24.89	-	12.29
18	लद्दाख	-	0.00	0.62	-
19	लक्षद्वीप	-	0.63	-	-
20	मध्य प्रदेश	22.85	98.70	228.52	59.75
21	महाराष्ट्र	17.45	4.07	31.76	34.63
22	मणिपुर	4.56	10.92	13.78	2.87
23	मेघालय	9.65	43.28	4.42	-
24	मिजोरम	0.28	1.52	4.52	1.86
25	नागालैंड	0.28	0.08	4.42	-
26	ओडिशा	32.15	211.46	171.58	61.39
27	पुदुचेरी	0.42	0.19	2.67	1.25
28	पंजाब	-	24.16	-	-
29	राजस्थान	45.37	83.59	173.06	45.01
30	सिक्किम	-	0.75	3.88	0.84
31	तमिलनाडु	17.45	150.42	279.36	112.48
32	तेलंगाना	11.25	53.88	95.21	74.17
33	त्रिपुरा	-	0.90	2.48	2.04
34	उत्तर प्रदेश	124.63	173.71	247.96	133.65
35	उत्तराखंड	1.56	32.31	-	18.25
36	पश्चिम बंगाल	9.95	-	30.91	35.99

टिप्पणी:

1. उपरोक्त निर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय निर्गत को 13-11-2024 तक अद्यतन किया गया है।

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/जिलों में “मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से समबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना” के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिनमें सरकारी या निजी क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

(i) 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के चरण-1 के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या [^]	जारी की गई राशि 2019-20	जारी की गई राशि 2020-21	पिछले 5 वर्षों में जारी कुल राशि	भौतिक प्रगति/संचालनरत कॉलेजों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1
3	असम	4	0	0	0	4
4	बिहार	3	50	33.4	83.4	1
5	छत्तीसगढ़	2	0	0	0	2
6	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	0	3
7	हरियाणा	1	0	0	0	-
8	झारखंड	3	0	0	0	3
9	जम्मू और कश्मीर	5	0	0	0	5
10	मध्य प्रदेश	7	0	0	0	7
11	महाराष्ट्र	1		0	0	1*
12	मेघालय	1	0	0	0	-
13	मिजोरम	1	0	0	0	1
14	नागालैंड	1	0	0	0	1
15	ओडिशा	5	0	0	0	5
16	पंजाब	1	0	0	0	1
17	राजस्थान	7	0	0	0	7
18	उत्तर प्रदेश	5	0	0	0	5

19	उत्तराखंड	1	0	0	0	1
20	पश्चिम बंगाल	5	0	0	0	5
	कुल	58	50	33.4	83.4	54

*कॉलेज अस्थायी तौर पर संचालित है, तथा इसकी इमारत अभी निर्माणाधीन है

इन कॉलेजों को वर्ष 2014 में शुरू हुई योजना के चरण-I के तहत मंजूरी दी गई है और 2014-15 और 2018-19 के बीच इन राज्यों को 7457.7 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के चरण-II के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या	केंद्रीय हिस्से से जारी धनराशि			पिछले 5 वर्षों में जारी कुल राशि	भौतिक प्रगति/संचालनरत कॉलेजों की संख्या
			2019-20	2020-21	2021-22		
1	बिहार	5	200	422.99	127.01	750	-
2	झारखंड	2	147.4	40.6	0	188	-
3	मध्य प्रदेश	1	71.59	22.41	0	94	-
4	ओडिशा	1	50	87.71	12.29	150	1
5	राजस्थान	1	71.59	22.41	0	94	1
6	उत्तर प्रदेश	8	410.47	341.53	0	752	8
7	पश्चिम बंगाल	5	286.36	189.64	50	526	5*
8	सिक्किम	1	100	57.6	0	157.6	-
	कुल	24	1337.41	1184.89	189.3	2711.6	16

*5 कॉलेजों में से पश्चिम बंगाल में 2 कॉलेज अस्थायी परिसर में संचालनरत हैं और उनकी इमारतें अभी निर्माणाधीन हैं।

इन कॉलेजों को वर्ष 2018 में शुरू हुई योजना के चरण-II के तहत मंजूरी दी गई है। कुल केंद्रीय हिस्सा 3675 करोड़ रुपये था और 2018-19 में इन राज्यों को 963.4 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(iii) 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के चरण-III के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार धनराशि।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या	केंद्रीय हिस्से से जारी धनराशि					पिछले पांच वर्षों में जारी की गई कुल राशि	भौतिक प्रगति संचालनरत कॉलेजों की संख्या
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
1	आंध्र प्रदेश	3	3.04	150	150	0	70.47	373.51	2
2	असम	1	0	163	79.5	50	0	292.5	1
3	छत्तीसगढ़	3	0	150	120	0	0	270	3*
4	गुजरात	5	4.74	215.26	430	0	0	650	5*
5	जम्मू और कश्मीर	2	46.81	276.19	0	0	0	323	2*
6	कर्नाटक	4	79.64	181	519.36	0	0	780	4
7	लद्दाख	1	0	127	0	0	0	127	-
8	मध्य प्रदेश	6	4.1	295.9	0	0	217.50	517.50	4
9	महाराष्ट्र	1	0	50	100	0	0	150	1*
10	मणिपुर	1	2.37	163	77.13	0	0	242.5	1
11	नागालैंड	1	0	155	87.5	0	0	242.5	1
12	ओडिशा	1	3.54	46.46	50	0	23.75	123.75	1
13	पंजाब	2	0.81	99.19	0	0	0	100	-
14	राजस्थान	15	234.1	515.9	750	0	0	1500	8
15	उत्तराखंड	3	3.04	225	146.96	0	502.50	877.50	1
16	उत्तर प्रदेश	14	121.56	578.44	700	1232.24	0	2632.24	13
17	तमिलनाडु	11	150.71	409.57	1584.72	0	0	2145	13
18	पश्चिम बंगाल	1	3.04	50	20.53	0	0	73.57	1*
	कुल	75	657.5	3850.91	4815.7	1282.24	814.22	11420.57	61

*ये कॉलेज अस्थायी तौर पर संचालित हैं तथा इनके भवन अभी निर्माणाधीन हैं।

अनुलग्नक-IV

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन और नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करना और उनका उन्नयन करना।

(i) नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढीकरण और उन्नयन के लिए सीएसएस (चरण - II)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों की संख्या	पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी	स्वीकृत लागत	केंद्रीय शेयर	जारी की गई राशि					कुल निर्गत केन्द्रीय हिस्सा
						2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
1	आंध्र प्रदेश	11	630	756	453.6	0	0	0	113.4	85.05	198.45
2	बिहार	1	115	138	82.8	0	0	41.4	0	0	41.4
3	राजस्थान	8	1160	1332.298	683.06 6	317.4 8	43.41 4	5.0	32.83	0	398.724
4	जम्मू और कश्मीर	3	69	80.4796	72.4237	0	0	0	11.47	7	18.47
5	कर्नाटक	2	70	66.62015	39.97	29.9	7.07	0	0	0	36.97
6	केरल	3	43	13.81	8.29					2.07	2.07
7	गुजरात	3	128	139.5256	83.71	29.4	3.386	0	0	11.44	44.226
8	मध्य प्रदेश	6	646	614.4616	368.68	223.2 2	7	0	0	0	230.22
9	तेलंगाना	9	232	261.83	159.25	0	0	0	63.74	0	63.74
10	उत्तर प्रदेश	11	291	335.412	201.24	0	0	0	72.82	0	72.82
11	पश्चिम बंगाल	08	606	724.84	434.90	0	0	0	108.73	0	108.73
	कुल	65	4000	4478.25	2711.07	600	60.87	46.4	402.99	105.56	1215.82

(ii) एमबीबीएस सीटों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढीकरण और उन्नयन के लिए
सीएसएस

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या	सीटों की संख्या स्वीकृत यूजी सीटें	स्वीकृत लागत	केंद्रीय शेयर	केंद्रीय शेयर से जारी धनराशि				पिछले 5 वर्षों में जारी कुल केन्द्रीय हिस्सा
						2019-20	2020-21	2022-23	2023-24	
1	आंध्र प्रदेश	3	150	180	108	18	0	0	0	18
2	छत्तीसगढ़	3	150	180	108	0	0	27.00	0	27
3	गुजरात	4	270	324	194.4	28	0	18.00	0	46
4	हिमाचल प्रदेश	6	120	144	129.60	0	0	35.64	0	35.64
5	मध्य प्रदेश	11	850	1020	612	144.68	44.32	0	0	189
6	उड़ीसा	2	200	240	144	20.89	0	0	0	20.89
7	पंजाब	2	100	120	72	0	0	0	0	0
8	राजस्थान	11	750	899.95	539.97	233.3	87.2	0	0	320.5
9	तमिलनाडु	4	345	414	248.4	60.84	0	0	0	60.84
10	उत्तराखंड	1	50	60	54	18	0	0	0	18
11	पश्चिम बंगाल	2	100	120	72	18	0	0	0	18
12	मणिपुर	1	50	60	54	14	0	0	0	14
13	कर्नाटक	9	550	660	396	79	0	0	0	79
14	झारखंड	1	100	120	72	33	0	0	0	33
15	उत्तर प्रदेश	7	432	518.39	311.034	24.2	11.8	110	0	146
16	जम्मू और कश्मीर	2	60	72	64.8	0	64.8	0	0	64.8
17	महाराष्ट्र	14	700	839.86	503.90	24.19	47.81	99	9	180
कुल		83	4977	5972.2	3684.104	716.1	255.93	289.64	9	1270.67

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

'नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने' के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित कॉलेजों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष	वास्तविक प्रगति
1.	आंध्र प्रदेश	3	6.00	2023-24	3 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी
2.	असम	5	10.00	2023-24	
3.	गुजरात	5	20.00	2023-24	
4.	हरियाणा	1	2.00	2023-24	
5.	हिमाचल प्रदेश	3	9.00	2023-24	
6.	जम्मू और कश्मीर	1	2.00	2023-24	एक नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी
7.	झारखंड	5	10.00	2023-24	दो नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी
8.	मेघालय	1	6.50	2023-24	
9.	महाराष्ट्र	2	5.00	2023-24	
10.	मध्य प्रदेश	14	29.00	2023-24	पांच नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी
11।	नागालैंड	2	12.00	2023-24	
12.	राजस्थान	23	50.00	2023-24	23 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी गई
13.	सिक्किम	1	6.50	2023-24	
14.	ओडिशा	7	28.00	2023-24	
15.	उत्तर प्रदेश	27	54.00	2023-24	24 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला रखी गई
16.	लद्दाख	1	2.50	2024-25	
17	उत्तराखंड	4	9.00	2024-25	

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

केंद्रीय क्षेत्र योजना "नर्सिंग सेवाओं का विकास" ।

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	वास्तविक प्रगति/उन्नय नाधीन महाविद्यालय	आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	0	0.0661	0	0	3.075	0	2	4
मणिपुर	0	2.3491	0.3884	2.5327	0.2285	0.2285	2	58
उत्तर प्रदेश	0.0306	0	0	0	0.0457	0	0	4
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0.0914	0	0	4
महाराष्ट्र	11.25	0	0	0.0457	0.081	0.0914	3	10
जम्मू और कश्मीर	26.25	11.25	0	0	0	0	10	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	8	2.1	7.5218	3.1752	4	0
त्रिपुरा	0	0	0	1.8471	1.7382	0	1	6
मेघालय	0	0	2	2.5	0	0	2	0
नागालैंड	0	0	0	8.3253	0.1142	0	3	13
तेलंगाना	0	0	0	5.5932	4.575	0	5	2
मिजोरम	0.1653	0	0.2285	0	3.75	1.6621	2	26
तमिलनाडु	0	0.1653	0.1142	0	0	0	0	15
मध्य प्रदेश	0.3471	0	0	0	0	0	0	21
ओडिशा	0.030	0	0.0457	0.0457	0	0	0	6
दिल्ली	0.711	0	0.4798	0.0914	0.5027	0.2285	0	100
छत्तीसगढ़	0.1653	0	0	0	0	0	0	10
आंध्र प्रदेश	0	0	0.1599	0.2970	0.1142	0.0228	0	26
केरल	0	0	0.2970	0	0	0	0	13
सिक्किम	0	0	0	0.0457	0.1828	0	0	10
झारखंड	0	0	0	0.0685	0.2285	0	0	13
चंडीगढ़	0	0	0	0.1371	0	0.0914	0	10
गोवा	0	0	0	0.2970	0	0	0	13
पुडुचेरी	0	0	0	0	0.0685	0	0	3
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0.0457	0	2
पंजाब	0	0	0	0	0	0.0685	0	3

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

(i) आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (करोड़ में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.41	0.27	0.76	1.00	0.59	0.77
आंध्र प्रदेश	374.07	261.23	223.95	480.89	451.45	203.24
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.67	0.00	3.80	3.47	3.76
असम	133.23	12.10	87.91	209.33	292.06	289.68
बिहार	82.49	0.00	59.77	145.51	172.5	300
चंडीगढ़	3.82	1.84	2.49	6.41	8.96	4.51
छत्तीसगढ़	280.37	112.62	66.00	352.94	195.47	242.31
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.02	4.24	1.76	2.93	7.79	2.89
गोवा	0.06	0.49	0.60	0.53	1.2	0
गुजरात	212.33	99.84	330.55	660.15	267.48	0
हरियाणा	58.69	71.92	89.95	143.50	95.17	51.19
हिमाचल प्रदेश	19.12	32.93	33.71	64.32	47.91	49.71

जम्मू और कश्मीर	33.44	22.70	75.12	85.62	42.22	3
झारखंड	126.50	100.32	7.98	0.00	83.55	270.63
कर्नाटक	254.13	160.85	414.11	647.74	320.59	371.74
केरल	97.56	145.61	138.90	151.34	155.49	75.67
लद्दाख	0.00	1.62	0.51	1.92	1.93	1.15
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.31	0.15	0.07	0
मध्य प्रदेश	118.46	164.80	355.25	665.73	790.35	413.61
महाराष्ट्र	241.88	376.65	324.75	388.03	548.4	371.88
मणिपुर	17.10	11.45	22.50	38.55	29.17	0
मेघालय	18.07	49.52	22.28	47.31	49.74	3.65
मिजोरम	12.41	14.97	16.58	26.30	23.35	11.66
नागालैंड	10.89	12.27	14.09	21.69	28.6	11.05
पुदुचेरी	0.00	1.23	0.11	7.98	5.3	2.15
पंजाब	55.55	46.85	80.50	111.38	57.96	43.91
राजस्थान	200.07	258.31	96.39	416.96	606.04	209.48
सिक्किम	0.09	1.85	1.04	2.30	6.01	2.95
तमिलनाडु	441.77	359.81	75.14	578.67	681.74	0
तेलंगाना	0.00	0.00	150.26	173.54	135.75	170.48
त्रिपुरा	20.18	8.98	35.60	45.25	48.81	27.76
उत्तर प्रदेश	147.49	167.63	157.56	501.78	841.11	933.5
उत्तराखंड	30.73	40.52	54.23	65.11	60.21	34.07

नोट: डेटा 25 नवंबर 2024 तक

(ii) आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्यवार और वर्षवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11,518	18,795	6,095	813	30,462	3,479
आंध्र प्रदेश	5	14	49	1,22,23,916	33,35,699	26,032
अरुणाचल प्रदेश	1,493	13,603	32,165	37,235	51,211	11,809
असम	908	1,45,776	2,18,004	1,00,12,553	65,35,793	9,11,546
बिहार	41,41,614	14,66,273	7,22,832	3,29,024	2,01,24,309	81,02,525
चंडीगढ़	24,813	11,893	7,401	81,887	29,123	68,617
छत्तीसगढ़	21,16,614	88,88,421	37,34,603	19,43,316	43,38,434	14,45,291
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	81,422	13,329	11,356	15,934	9,278	5,673
गोवा	13,965	317	263	5,139	53,150	2,993
गुजरात	28,27,816	1,66,961	45,71,063	53,33,222	77,97,722	12,98,175
हरियाणा	12,98,633	3,37,403	3,01,903	53,70,263	33,36,424	7,83,923
हिमाचल प्रदेश	3,19,610	2,14,540	69,740	18,272	1,77,390	38,007
जम्मू और कश्मीर	50,279	34,01,007	21,10,270	15,41,248	3,45,574	1,56,087
झारखंड	56,36,121	2,35,192	4,08,189	13,76,486	12,61,854	3,57,193
कर्नाटक	336	79	48	1,35,55,309	27,29,649	13,79,904
केरल	63,63,179	1,76,134	2,80,201	3,27,477	4,47,414	4,00,685
लद्दाख	509	58,033	16,614	23,107	57,557	1,581
लक्षद्वीप	1,559	93	16,593	7,793	6,884	3,629
मध्य प्रदेश	48,62,322	91,27,418	37,12,054	93,35,962	36,88,609	19,76,300
महाराष्ट्र	62,97,711	2,70,779	3,72,000	17,67,033	1,79,88,254	17,72,735
मणिपुर	1,45,702	70,137	1,02,612	84,725	1,06,287	45,204
मेघालय	12,82,954	41,373	1,45,262	78,430	1,34,596	1,11,031
मिजोरम	2,09,925	11,031	3,934	78,403	1,11,873	21,678

नागालैंड	2,06,756	16,648	21,680	1,91,171	2,30,312	65,473
पुदुचेरी	1,13,996	15,791	2,56,502	23,457	94,097	17,890
पंजाब	36,84,680	22,61,785	15,79,195	1,98,965	8,72,250	4,29,386
राजस्थान	0	0	0	1,02,79,284	1,09,32,764	3,87,666
सिक्किम	27,207	2,701	10,791	7,921	20,134	6,519
तमिलनाडु	188	179	373	32,47,688	39,45,041	4,79,990
तेलंगाना	0	0	0	69,49,448	12,97,866	9,879
त्रिपुरा	7,68,202	1,17,875	37,516	41,307	5,30,126	1,80,142
उत्तर प्रदेश	65,28,640	44,05,932	41,53,506	91,81,397	2,32,56,644	13,87,547
उत्तराखंड	8,57,669	5,49,944	3,53,410	3,77,527	5,63,069	2,87,419

नोट: डेटा 30 नवंबर 2024 तक

अनुलग्नक-VIII

**दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में
संदर्भित अनुलग्नक।**

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएसएसवाई (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) के कार्यान्वयन के लिए
आवंटित और व्यय की गई धनराशि ।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित बजट	कुल व्यय
2019-20	4714.78	6876.47**
2020-21	7517.25	7360.23**
2021-22	9601.31	9601.31
2022-23	8269.56	7744.92
2023-24	8635.00*	8036.08

*इसमें पीएमएसएसवाई योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान और नए एम्स की स्थापना व्यय दोनों शामिल हैं।

** एचईएफए (ईबीआर) अनुदान से भी व्यय शामिल है।

अनुलग्नक-IX

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाएं (सीजीएचएस)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	2019-20	2850.00	4036.08	3966.19
2.	2020-21	3047.69	4344.62	4236.86
3.	2021-22	4069.95	4463.00	4368.02
4.	2022-23	4495.00	6585.69	6419.89
5.	2023-24	6066.43	6152.40	61.09.82

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

“स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया” योजना (एचएसडीपीआर)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आबंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	2020-21	65.95	9.50
2.	2021-22	65.95	3.46
3.	2022-23	65.95	26.76
4.	203-24	66.50	20.24
5	2024-25 (02.12.2024 तक)	60.55	3.12

अनुलग्नक-XI

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1953 के बिंदु (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

“आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास योजना (एचआरडीईएमएस) ”

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आबंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	2020-21	64.05	17.31
2.	2021-22	64.05	28.66
3.	2022-23	64.05	48.24
4.	203-24	61.64	8.45
5	2024-25 (02.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	33.45	0.57
